

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग


-----

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2024

### अधिसूचना

का.आ. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक) श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा के कार्यकाल को चार लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर दिनांक 4.1.2024 से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

(फा.सं. आर-12011/01/2023-बीमा-I)



(विनोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार